मनोज - श्यामलाल [illegible]

दिनांक	आज्ञा पत्र	
28.8.24	पत्रावली पेश / [illegible] [illegible] [illegible] सेवा. के [illegible] बहस पेश की [illegible] / अतः आदेश दिनांक 2.9.24 को पेश हो / [illegible] [illegible] हेतु [illegible] / [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
2.9.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट.....[illegible]..... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 93/2023

1 मनोज कुमार पुत्र स्व. धन्नाराम जाति कुमावत निवासी ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर जरिए मुख्तयार पुष्पा देवी पत्नी मनोज कुमार जाति कुमावत निवासी ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज.।

अपीलांट

बनाम

1 श्यामलाल पुत्र स्व. धन्नाराम जाति कुमावत निवासी ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2 तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3 विमला देवी पत्नी राधेश्याम मीणा जाति मीणा निवासी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
4 बाबूलाल कटारिया पुत्र चौथमल सैनी
5 श्रीराम सैनी पुत्र चौथमल सैनी
समस्त जाति माली निवासीगण ढाणी बरालिया की तन हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
6 रामचन्द्र सामोता पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना।
7 राजेश कुमार सैनी पुत्र अर्जुनलाल सैनी जाति सैनी निवासी ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.06.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर वावत जारी किये जाने रूपान्तरण भूमि खसरा नम्बर 2804/454 तन ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना में से 5000 वर्गमीटर भूमि व्यावसायिक उपयोग हेतु। अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जगराम कुड़ी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 02.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 143/2011 में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2011के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्यामलाल ने एक प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नम्बर 2804/454 तन ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर में से 5000 वर्गमीटर भूमि को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ व्यवसायिक उपयोग के लिए दुकान हेतु पेश किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने बिना किसी कब्जे की जांच

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

किये एवं कब्जेधारी को बिना कोई नोटिस व सूचना दिये अपने आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2804/454 तन ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर में से 5000 वर्गमीटर भूमि को व्यवसायिक (दुकान) रूपान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गयी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मन में बेईमानी आ जाने के कारण अपीलार्थी का हिस्सा हड़प करने की नियत से अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता स्व. धन्नाराम के बीमार होने का फायदा उठाकर स्व. धन्नाराम को भला बुरा का ज्ञान नहीं होने व मानसिक रूप से बीमार होने के कारण स्व. धन्नाराम को धोखे में रखकर वसीयत दिनांक 20.11.2020 बनवा लिया और स्व. धन्नाराम की मृत्यु होने तक छुपाये रखा। धोखे से बनवायी गयी वसीयत से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से सांठ गांठ कर अपीलार्थी को बिना नोटिस दिये एवं विधिवत प्रकिया अपनाये बिना नामान्तकरण संख्या 1732 दिनांक 25.08.2021 खुलवा लिया। अपीलार्थी को उक्त तथ्य का ज्ञान दिनांक 29.11.2021 को होने पर उप पंजीयक श्रीमाधोपुर एवं जमाबंदी की नकल प्राप्त करने का आवेदन लगाया। जो दिनांक 01.12.2021 को नकल मिलने पर संपूर्ण जानकारी हुई। उक्त वसीयत दिनांक 20.11.2020 धोखे से बनायी जाने का ज्ञान होते ही अपीलार्थी द्वारा मुकामी पुलिस थाना श्रीमाधोपुर में मुकदमा किया गया जिस पर जांच की जा रही है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा धोखे से बनायी गयी वसीयत के आधार पर तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर व पटवारी के साथ मिलकर साजिस रचकर बिना किसी प्रकार की विधिक प्रकिया अपनाये बिना एवं अपीलार्थी को बिना नोटिस दिये बाला बाला रूप से धोखे से बनायी गयी वसीयत के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर ने नामान्तकरण संख्या 1732 दिनांक 25.08.2021 तस्दीक कर दिया जिसकी अपील संभागीय आयुक्त महोदय सीकर के यहां विचाराधीन है जिसमें आगामी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तारीख पेशी 22.08.2024 नियत है एवं वसीयत को निरस्त करवाने का दावा न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय श्रीमाधोपुर के यहां वाद संख्या 109/2021 उनवानी मनोज कुमार बनाम श्यामलाल आदि विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी 30.09.2024 नियत है एवं एक दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय श्रीमाधोपुर के यहां भी विचाराधीन है। आराजी खसरा नम्बर 454 विवादित है जिसके संबंध में अपीलांट ने सक्षम न्यायालयों में अपने हक हिस्से व अधिकार के लिए वाद पत्र दाखिल कर रखे है एवं पूर्व से प्रकरण व सूचना होने के बावजूद अपीलांट को बिना कोई नोटिस व सूचना व बिना उसे अपना पक्ष व कथन व सबूत प्रस्तुत करने का मौका दिये बिना ही अपना निर्णय जैर अपील पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत होने के बाद विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन पत्र बाबत विवादित भूमि के मौके पर काबिज काश्त अपीलांट को जरिए नोटिस सूचना नहीं दी और ना ही इस संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका दिया। तथाकथित वसीयत को निरस्त कराये जाने की कार्यवाही सिविल न्यायालय में विचाराधीन है जब तक सिविल प्रकरण का अंतिम निस्तारण नहीं हो जाता तब तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति अपील दायरी दिनांक को बनाये रखने का माननीय न्यायालय का कर्तव्य है। तथाकथित वसीयत एक छल कपटपूर्वक षडयंत्र रचकर कूटरचित दस्तावेज की संरचना होने के कारण से तथाकथित वसीयत का प्रकरण फौजदारी न्यायालय में विचाराधीन है उसके निस्तारण तक अपील दायरी यथास्थिति का रिकार्ड पर बनाया रखना आवश्यक है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर का आदेश जैर अपील दिनांक 09.06.2022 निरस्त किये जाने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 454 रकबा 2.56 हैक्टेयर अवस्थित तन ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राज. रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व अपीलान्ट मनोज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कुमार के पिता स्व. धन्नाराम पुत्र सूरजमल जाति कुम्हार की स्वय की स्वर्जित भू–सम्पदा है। धन्नाराम ने उक्त भूमि दिनांक 06.07.1978 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख खरीद की थी। धन्नाराम अपने बड़े पुत्र श्यामलाल की सेवा–सुश्रूषा से प्रसन्न होकर अपने जीवनकाल में दिनांक 20.11.2020 को उपपंजीयक कार्यालय श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. के यहां रजिस्टर्ड वसीयत लेख रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 श्यामलाल के हक में विधिवत रूप से पंजिबद्ध करवा दिया था। धन्नाराम के मरणोपरान्त उक्त भूमि का नामान्तकरण विधिवत सुनवाई किया जाकर रजिस्टर्ड वसीयत लेख के आधार पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 श्यामलाल के नाम उक्त भूमि की खातेदारी अंकित की गई व रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त व आवासीय मकान नोहरे में आबाद चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 श्यामलाल के नाम खातेदारी दर्ज करने के तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश के विरूद्ध माननीय अपर जिला कलक्टर महोदय, सीकर को अपील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत की गई थी जो अपर जिला कलक्टर नीमकाथाना को ट्रान्सफर की गई जो बाद सुनवाई खारिज फरमा दी गई थी। अपीलान्ट की ओर से माननीय सिविल न्यायालय महोदय, श्रीमाधोपुर के समक्ष वसीयत निरस्त किये जाने बाबत वादपत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किये गये जो दिनांक 25.03.2022 को खारिज फरमा दिये गये जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, श्रीमाधोपुर के यहां प्रथम सिविल अपील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत की गई जो बाद सुनवाई दिनांक 29.08.2022 को खारिज फरमा दी गई। अपीलान्ट की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के यहां सन 2017 में एक वादपत्र बाबत उद्घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किये थे जिसमें खसरा नम्बर 454 रकबा 2.56 हैक्टेयर में स्वयं का 1/4 हिस्से पर काबिज होना व 1/4 हिस्से की घोषणा करवाने हेतु दावा पेश किया गया जबकि अपील में स्वयं के हक हिस्सों में उक्त सम्पूर्ण भूमि होने बाबत अंकित किया गया है उक्त सभी तथ्य काफी विरोधाभाषी है जो कि न्यायालय एसडीओ श्रीमाधोपुर द्वारा उक्त वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निषेधाज्ञा खारिज फरमा दिये गये। वास्तविकता यह है कि उक्त संपरिवर्तन भूमि व अन्य भूमि से अपीलान्ट का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। सम्परिवर्तित भूमि रकबा 0.50 हैक्टेयर में से कुछ भूखण्डो के विकय लेख रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 ता 6 के हक में विकय लेख उपपंजीयक कार्यालय अजीतगढ़ से पंजीबद्ध किये गये हैं जिनको भी अपीलांट ने किसी भी प्रकार से चुनौति देने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है उक्त तमाम स्थितियां को मध्यनजर रखते हुये अपीलान्ट की अपील सव्यय खारिज फरमाये जाने योग्य है।

अपीलांट ने जवाब में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत लिखत बहस के पैरा संख्या 4 गलत है खसरा नम्बर 454 अपीलांट के हिस्से में आयी हुई है जिस पर रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा काश्त हक हिस्सा नहीं है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कूटरचित वसीयत के आधार पर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवायी है एवं उसी के आधार पर आगे फर्दर कार्यवाही कर रहा है जबकि अपीलांट ने सक्षम न्यायालय में कूटरचित वसीयत को चुनौती दे रखी है। रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश श्रीमाधोपुर के यहां एक वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी श्यामलाल बनाम मनोज कुमार वगैरह प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मु.नं. 94/2022 में दिनांक 15.09.2022 को आदेश पारित किया था जिसको अपीलांट ने न्यायालय अपर जिला सेशन न्यायाधीश महोदय श्रीमाधोपुर के यहां अपील प्रस्तुत कर चुनौती दे रखी है जिसका मु.नं. 39/2022 उनवानी मनोज कुमार आदि बनाम श्यामलाल है जिसमें आगामी तारीख पेशी 06.11.2024 नियत है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के यहां वर्ष 2017 में एक वाद पत्र प्रस्तुत किया था जिसको वापस लेकर संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा दर्ज आपत्तियों को खारिज करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचाराधीन संपरिवर्तन आदेश की भूमि के संदर्भ में पक्षकारों में विवाद है। यह भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम वसीयत के आधार पर दर्ज की गई है। अपीलांट के पक्ष में वसीयत के संदर्भ में निर्णय पारित नहीं हुआ है। इससे पूर्व अपीलांट को संपरिवर्तन आदेश को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलांट विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार नहीं है। अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु विधि अनुसार धारा 96 सीपीसी का आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील पोषणीय नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 02. 9. 24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम [illegible])
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर